

[Shri Era Mohan]

decision of a commercial undertaking, particularly making sophisticated electronic equipment for defence and not public utility items of day to day living of the people should be final. The industrial backwardness of any area should not come in the way of BEL setting up these two units to manufacture electronic equipment for meeting the defence needs. There should be no change in the location of one unit of BEL at Madras.

(vii) NEED TO GIVE ABUNDANT ORDERS BY ECL TO ANCILLARY UNITS IN ASANSOL TO ENSURE THEIR SURVIVAL.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur): Sir, small scale ancillary units in Asansol area are on the verge of ruination due to non-cooperation from the Eastern Coalfields Limited. These ancillary units in Asansol used to get orders from ECL but for the last 16 months they are not getting any order from ECL. Sir, if these units are forced to close down, then livelihood for more than 5000 people attached with these units will be in peril. Sir, as per the instruction of Bureau of Public Enterprises (BPE) abundant orders should be given to these ancillary units for the development of small scale industry. For fixing the rate of 'coal tub' a meeting had been called in May, 1981 and in that meeting the representatives of the ancillary units protested at the final rate of Rs. 2,192/- for coal tub while the present rate stands at Rs. 2,500/-. After that meeting, ECL stopped order to these ancillary units. They placed order to various units in Bihar and even to far away Haryana and Maharashtra.

Sir, if this attitude is adopted by all the public sector undertakings, how can there be growth of small scale industry in the country? Therefore, I urge upon the Government that for the survival of the ancillary units in Asansol area abundant orders should be given by the ECL to them.

I also demand that the Minister concerned make a statement in the House in this regard.

(viii) DEMAND TO RESTORE *status quo* OF REGISTRATION PROCEDURE IN DELHI UNIVERSITY AND JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सार्वजनिक शिक्षा में केवल कैपिटेशन पर नामांकन की व्यवस्था की ही बाधा नहीं है। अभी हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने नामांकन के नियम में परिवर्तन कर बहुत से मेधावी छात्रों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में ऊंची शिक्षा पाने की सुविधा से वंचित कर दिया है। बिहार में शिक्षित ऐसे बहुत से प्रवेशार्थी अब नए नियम के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। पिछले दिनों सदन में इस समस्या का उल्लेख हुआ था किन्तु अभी तक सन्तोषप्रद निदान नहीं निकाला गया है। इसी प्रकार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछड़ी जातियों के मेधावी प्रवेशार्थियों को जो सुविधा मिलती थी उसे प्रतिभा के नाम पर कम कर विश्वविद्यालय में इस वर्ग के छात्रों की संख्या नियंत्रित की गई है। यह सचमुच आश्चर्य का विषय है कि जहां हम पिछड़े वर्ग के लोगों को समान स्तर पर लाने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर विशेष अवसर देने की मांग करते हैं, वहां इस विश्वविद्यालय में उन्हें पहले से मिलने वाली सुविधा में भी कटौती की गई है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन विश्वविद्यालयों में नामांकन की पद्धति पूर्ववत् कर दी जाए।

(ix) RAILWAY SERVICES IN U.P.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई,

बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत में आजादी के बाद से आज तक एक इंच भी कोई रेलवे लाइन का न तो निर्माण किया गया है और न मीटर गेज लाइनों को ब्राडगेज में परिवर्तित किये जाने की व्यवस्था ही की गई है जबकि निरंतर इस क्षेत्र की जनता और जन प्रतिनिधि रेल सुविधाओं के बढ़ाए जाने और मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज रेलवे लाइन में बदलने की मांग करते रहे हैं। बहराइच से सीतापुर तक नई रेल लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में 1979-80 में सर्वे कराया गया और इसके निर्माण की लागत 25 करोड़ रु० आंकी गई थी। परन्तु इसके अतिरिक्त अभी तक कुछ नहीं हो सका जब कि हरदोई से सीतापुर तक सर्वे कराने की और आवश्यकता थी। यही नहीं पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से सीधे लाइन से जोड़ने के लिए सीतापुर-बुढ़वल मीटर गेज ब्रांच लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए सर्वे कराया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि निकट भविष्य में इस लाइन के परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इस लाइन के परिवर्तन से पूर्वी भारत से कलकत्ता, पटना, गोंडा, गोरखपुर से चलने वाली गाड़ियों को दिल्ली अथवा पश्चिम भारत के किसी क्षेत्र को जाने के लिये सुविधा मार्ग उपलब्ध होगा क्योंकि सीतापुर से शाहजहांपुर तक सीधी ब्राड गेज लाइन बनी है और बुढ़वल से सीतापुर तक मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की जरूरत है। इस लाइन को न बदलने के कारण इस क्षेत्र की जनता में व्यापक क्षोभ है। सरकार की उदासीनता के कारण इस क्षेत्र में न तो नई रेल लाइन बनाई जा सकी है और न एक छोटी सी लाइन को ब्राड गेज में बदला जा सका है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो ऋण प्राप्त किया गया है और रेल व्यवस्था के बारे में जो खर्चा किया जाना है उससे कुछ अंश निकाल कर जनपद सीतापुर, बहराइच और हरदोई के लिए नई रेल लाइन की व्यवस्था की जावे तथा बुढ़वल से सीतापुर की मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने के लिए अविलम्ब व्यवस्था की जावे।

12.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE:
CONTINUANCE IN FORCE OF
PROCLAMATION IN RESPECT
OF STATE OF ASSAM,

ASSAM BUDGET, 1982-83—
GENERAL DISCUSSION,

DEMANDS FOR GRANTS
(ASSAM), 1982-83

AND

STATUTORY RESOLUTION
RE: NOTIFICATION UNDER ES-
SENTIAL SERVICES MAIN-
TENANCE (ASSAM) ACT.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Items 10, 11, 12 and 13 will be taken up together. Now the Statutory Resolution.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): What is the time allotted?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have started. Let us see.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Unless that is decided, those who speak earlier would be deprived of enough time. There are so many problems which we would like to